न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन– 373/2025 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. धीमाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. अली पुत्र मियल 2. खतीजां पत्नी मियल जाति मुसलमान निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 3. द सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा धोरीमन्ना। 4. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :– श्री आम्बाराम पूनड़

निर्णय

दिनांकः– 09/02/2026

प्रार्थी धीमाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि "प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ग्राम ढाकोंवाला पटवार हल्का शौभाला दर्शान भू.अभि.नि. सोनड़ी तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 1434/523 रकबा 4–7429 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी को उक्त खेत व रहवासीय ढाणी में आने–जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम ढाकोंवाला पटवार हल्का शौभाला दर्शान के खसरा संख्या 521 रकबा 8–2556 हैक्टेयर में से 20 फीट के चौड़े रास्ते की निकटतम आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने व रहवासीय ढाणी में आने–जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता शौभाला दर्शान से कुन्दनपुरा जाने वाली डामर सड़क को जोड़ता है। मौके पर रास्ते के आलामात मौजूद है, अभी अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त रास्ते से मना कर दिया है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमती से मामला नहीं बैठ सका। रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि	मौजा	खातेदार का नाम
1	521	8–2556	बारानी सोयम	20 फीट	ढाकोंवाला	अली पुत्र मियल व खतीजा पत्नी मियल

प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से 20 फीट चौड़े रास्ते की अत्यंत सख्त आवश्यकता है। जिसमें नक्शे में चिन्हित स्थान पर रही सुविधाजनक व उपयुक्त रास्ता है, जिसे संलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'अ' में पीली स्याही से दर्शाया गया है। उक्त नक्शे को प्रार्थना पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढा जावें। प्रार्थीगण उक्त आवेदित स्थान के अभाव में प्रार्थी को आने –जाने में व खेतों, रहवासीय ढाणी में आने जाने, काश्त के साधन, उपकरण लाने व ले जाने, राशन सामग्री लाने व ले जाने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे रास्ते की सुविधा हेतु अत्यंत आवश्यकता हैं, लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि में से चलने से मना कर दिया है। जिससे प्रार्थी रास्ता प्राप्त की सुविधा अधिकार पाने का कानूनी हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ते की सुविधा हेतु गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के आवागमन में बाधा कारित न करें न ही करावें तथा न आवेदित स्थान रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण न करें व न ही करावें। इस आशय का आदेश जारी फरमावें।

सहायक कलेक्टर सेड़वा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर/2025/2260 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ.

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

/2026/131 दिनांक 13.01.2026 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 03.01.2026 अनुसार धीमाराम पुत्र कानाराम, सुखराम पुत्र कानाराम जातियान विश्नोई की उपस्थित में भूमि का मौका मुआयना किया गया। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	अली पुत्र मियल 1/2, खतीजा पत्नी मियल 1/2 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	521	8–2556 हैक्टेयर	0–1538 हैक्टेयर (रास्ते की चौड़ाई–20 फीट)	58444/–	ढाकोंवाला	बा.सो.

उक्त प्रस्तावित रास्ते में कोई मकान, पेड़ इत्यादि नहीं है। भूमि मौके पर खाली है। उक्त ग्राम की डीएलसी दर 2,80,000/– प्रति हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि(क्षतिपूर्ति) राशि 1,16,888 रूपये है। प्रस्तावित रास्ता बरंग पीला अंकित है। मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई। उपस्थित मोतबरान ने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किए।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:40 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	अली पुत्र मियल 1/2, खतीजा पत्नी मियल 1/2 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	521	8–2556 हैक्टेयर	0–1538 हैक्टेयर (रास्ते की चौड़ाई–20 फीट)	58444/–	ढाकोंवाला	बा.सो.

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के पत्रांकः भू.अ./20265/131 दिनांक 13.01.2026 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 03.01.2026 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग पीले से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2026 मय फर्द दिनांक 03.01.2026 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थी को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (डीएलसी) निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा मय विवरण ... में प्रस्तुत की जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्यधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता देने हेतु आज दिनांक 09/02/2026 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 131 दिनांकः– 13.01.2026

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः– राजस्व आवेदन सं 373 / 2025 अनवान धीमाराम वगैरह बनाम अली अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 373 / 2025 अनवान धीमाराम वगैरह बनाम अली अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम ढाकोवाला के खसरा 1434 / 523 में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 521 में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में अति.ओफिस कानुनगो द्वारा दिनांक 03.01.2026 को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:40 IST
Reason: SelfAttested

भू. अ. निरीक्षक

प्रदर्श क्रमांक 2

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	खीमाराम	S/o कानाराम	बिश्नोई	—	प्रार्थी
02.	सुखराम	S/o कानाराम	—"—	सुखराम	—"—

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
01.	कैलाश	S/o तुलछाराम	22	बिश्नोई	V.P. धनेवालय m. 7568882629 कैलाश
02.	नरेशकुमार	S/o किसनाराम	28	—"—	—"— m. 9166138518 नरेश

इस प्रकार आज दिनांक .... को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:40 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर 31/01/2026
पटवारी
पं. मंगीलाल माजू
पटवारी (भू.अ.) आवदनवाला (बाखासर)
तहसील सेड़वा

हस्ताक्षर 31/01/2026
भू. अ. निरीक्षक
वृत ....
अतिरिक्त ऑफिस
कानूनगो सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

प्रथम कोर्ट

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं .....मांगीलाल........... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त......AOK सेड़वा......, कार्यालय, तहसीलदार ......सेड़वा......... के आदेश कमांक ..2286.... दिनांक 31/12/2025 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 03/01/2026 समय 4:00 P.M. बजे आराजी खसरा नम्बर–....521..... दाके ग्राम ढाकों वाला. पटवार मंडल शोभाला दर्शान पर श्री मांगीलाल........ पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक 2298, 2299 दिनांक 02/01/2026.... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	धीमाराम	S/. कानाराम	82	विश्नोई	प्रार्थी
02.	सुखराम	S/. कानाराम	80	—"—	—"—

सुखराम

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :–

क्र.स.	खातेदार का नाम	मौजा	खसरा नं.	रकबा [हैक्टर में]	रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि किस्म
01.	अली पुत्र मियल 1/2, खतीजा पत्नि मियल 1/2 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	ढाकोंवाला	521	8.2556	0.1538 समाविष्ट रास्ते की चौड़ाई 20 फीट	58444/-	बा० सीयक

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:40 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रस्तावित रास्ते में कोई मकान, इत्यादि नहीं हैं। भूमि मौके पर खाली है। उक्त ग्राम की DLC दर 280000/- प्रति हेक्टर है। प्रस्तावित रास्ते मे प्रयुक्त भूमि कि DLC दर से दुगनी राशि (क्षतिपूर्ति) राशि 1,16,888/- रूपये। प्रस्तावित रास्ता वरंग-पीला अंकित है।

03/01/2026

अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो सेड़वा

[redacted]

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

सहायक कलेक्टर (SDO) सेडवा

दिनांक : 01/01/2026 12:09:51 PM

जिला : बाड़मेर	तहसील : सेडवा	भू. अ. नि. क्षेत्र : सोनड़ी
पटवारी हल्का : शोभाला दर्शान	ग्राम : ढाकोंवाला	

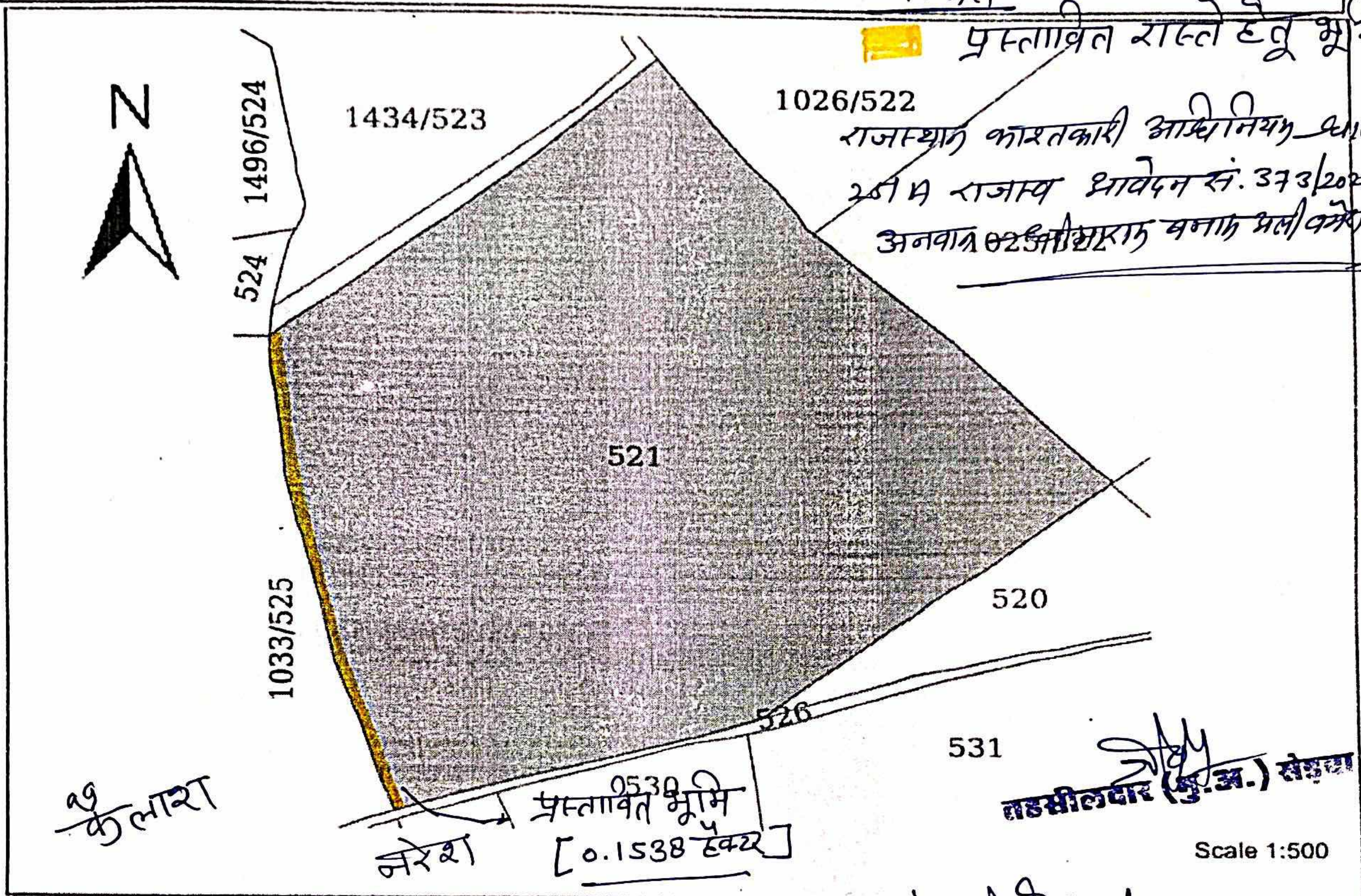

खसरा संख्या :521 क्षेत्रफल : 8.2556 Hectare खाता संख्या : 5पुराना खाता संख्या :5

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [8.2556, 2.56]

1.) अली पुत्र मियल हिस्सा- 1/2 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार

2.) खतीजां पत्नि मियल हिस्सा- 1/2 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2 (खसरा सं- 521) दे ...ऑपरेटिव बैंक, बाडमेर शाखा DHORIMANNA

अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो सेडवा

सक्षम अधिकारी ... पटवारी ... तहसील सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा, जिला – बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 494 दिनांकः– 16.02.2026

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– राज आवेदन स. 373 / 2025 अनवान धीमाराम वगैराह बनाम अली वगैराह में अंतर्गत धारा 251ए में निर्णय दिनांक 09.02.2026 में समाविष्ट भूमि की क्षतिपूर्ति की की स्वीकृति बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि राज आवेदन स. 373 / 2025 अनवान धीमाराम वगैराह बनाम अली वगैराह में अंतर्गत धारा 251 ए रा.का.अधि. में निर्णय दिनांक 09.02.2026 की पालना हेतु अति.ऑफिस कानूनगो सेड़वा को निर्देशित किये जाने पर अति.ऑफिस कानूनगो सेड़वा द्वारा निर्वापित अभिघृति ग्राम ढाकोंवाला के ख.न. 521 रकबा 0.1538 हैक्टर की ग्राम ढाकोंवाला की निर्धारित डीएलसी दर का दो गुणा से तथा अन्य सरंचना के वास्तविक मूल्य से गणना करते हुए क्षतिपूर्ति राशि को पक्षकारों में विभाजन की गणना सहित रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में अति.ऑफिस कानूनगो सेड़वा से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि की गणना रिपोर्ट बाद जांच व प्रति हस्ताक्षर के स्वीकृति व अग्रीम आदेशार्थ श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार। सादर।

भवदीय

16-02-2026

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:40 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय

सेड़वा

विषय:- राजस्व आवेदन सं. 373/2025 अनवान खीमाराम वगैरा बनाम आली वगै. अन्तर्गत धारा 251 A RT Act में निर्णय दि. 09/02/2026 की पालना में क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण बाबत।

महोदयजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व वाद सं. 373/2025 अनवान खीमाराम वगैरा. बनाम अली वगैरा. अन्तर्गत 251 A RT Act में निर्णय दि. 09/02/2026 के अनुसार निर्मित रास्ते में समाविष्ट भूमि की क्षतिपूर्ति राशि (वर्तमान DLC दर की दुगुनी) को प्रभावित पक्षकार को भुगतान हेतु निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है।

क्र.स.	ग्राम	खसरा	रकबा (रास्ते में प्रयुक्त भूमि)	निर्मित रास्ते के खातेदार जिनकी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है।	पक्षकार को देय क्षतिपूर्ति राशि (रुपयें में)
01.	ढाकोंवाला	521	0.1538 हैक्टर	अली पुत्र मियल 1/2	58444/-
				खतीजा पत्नी मियल 1/2	58444/-
	अक्षरे एक	लाख सोलह	हजार आठ सो अठासी	कुल योग =	1,16,888/-

ग्राम ढाकोंवाला के खसरा नं. 521 में से निर्मित रास्ते में समाविष्ट भूमि की कुल क्षतिपूर्ति राशि 1,16,888/- रुपये प्रभावित पक्षकारों को देय होगी। उक्त रास्ता भूमि में किसी प्रकार का किमती पेड़, मकान इत्यादि नहीं हैं।

अग्रीम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट श्रीमान् [illegible] सादर पेश है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:40 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
16/02/2026
अतिरिक्त ऑफिस
कानूनगो सेड़वा